मूल वाद में डिक्री-
(आदेश 20 नियम 6-7 आदेश दिवानी)

प्रशासन गांवो के संग अभियान

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कुमार ~~हनुमानगढ़~~ भाणुला
राजस्व वाद सं० 418/2021

प्रभारी पीठासीन अधिकारी :- डा० अवि गर्ग
R.A.S.

अनवान प्रमाण :- ① प्रेमाराम पुत्र मानुराम ② देवीलाल
③ आलोकाराम पुत्र गण श्री प्रेमाराम
वादि जाट जाति व हनुमानगढ़
तहसील हनुमानगढ़ जिला HMH
④ कोशल्या देवी ⑤ पार्वती देवी पुत्रीयान प्रेमाराम
बनाम

सरकार

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 RTA

उपस्थित :-
① वादीगण स्वयं
② राजपरोक्ष

दिनांक 17/11/2021 (17/11/2021)

वादी की ओर से स्वयं वादीगण उपस्थित व प्रतिवादी की ओर से राजपरोक्ष की उपस्थिति में आज दिनांक 15/11/21 को मुझ डा० अवि गर्ग R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष यह वाद अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर घोषणा वादीगण के राजीनामा / अनुबन्ध पत्र के अनुसार की जाती है। वाद-पत्र के साथ वादी संख्या-1 के नाम यक्ष पा 55 खसरा नं० 73/83 की 1.391 हैक्टेयर नहरी मय खसरा व यक्ष 43 55 खसरा नं० 71/62 की 0.759 हैक्टेयर नहरी कुल 2.15 हैक्टेयर भूमि की काबिज किये गये आपकी तहमीमी (आदीपा पेड़ के एक खाता) (अनुबन्ध पत्र) के अनुसार खारा एकसमि व खातेदार घोषित किया जाता है। खसरावली संलग्न अनुबन्ध पत्र को इस डिक्री का भाग समझा जावे। किसी पक्षकार का संगत विवाद व कब्जा नहीं होने की सूरत में यह डिक्री पालना नहीं की जावे। इसके अलावा इस भूमि काबिज अविवाद कोई कब्जा होगा तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी उन [illegible] के भूमिधर किसान अविवाद में शामिल खाता खाता का विवाद नहीं [illegible] विवाद शामिल खाता खाता किसी अन्य से नहीं मांगेंगे। अगर [illegible] है तो आप तहमीमी के शामिल खाता उपलब्ध [illegible]

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित [illegible] उक्त वर्णित भूमि [illegible] उकार के मुक्त होने की दशा में [illegible] अंकन उपखण्ड [illegible] कायम उपखण्ड करावे। भूमि की [illegible] बनी ही रहेगी। विवादी काबिज बदलाव [illegible] करावेगा।

आज यह पत्रा डिक्री दिनांक 17/11/2021 मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुई।

उपखण्डाधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.01.04 13:50:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner